

माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, रवालीयर, कैम्प, इन्दौर,

पुनरक्षण प्रार्थी की ओर से:-

A 301-II/97

मेलाल पिता हरीरामजी, जाति नाई,

निवासी जवास्या तहसील बदनावर जिला-धार

— प्रार्थी

तारिखः १ इष्टवरलाल पिता भैकलाल जाई

बनाम

Ex.P. १-रणछोड़ पिता चुन्नीलाल नाई,

निवासी रामपुर तहसील धार

— २-भगवन्त पिता हरीराम नाई,

३-सरचुबाई पिता हरीराम नाई

४-कलाबाई पिता हरीराम नाई

५-कमलाबाई पिता हरीरामजी नाई,

६-धापुबाई पिता हरीरामजी नाई

सभी निवासीयान जवास्या तहसील बदनावर

— अनावेदकगण

पुनरक्षण धारा 50मोरोमोरा ०० संहिता १९५९ के अंतर्गत

माननीय महोदय,

व्य पुनरक्षण अधिनस्थ विदवान न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर
गांग इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 187/1994-95 मे दिनांक ३-७-९७ को
दिय गये आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत है।-

उपरोक्त निम्नों द्वारा दिये गये अधिनस्थ अधिनस्थ विदवान अपर कलैकट्टर
धार के निगरानी प्रकरण क्रमांक 15/1992-93 मे आदेश दिनांक 31-3-95
को पारीत किया गया था। अधिनस्थ अनुक्रमान्वय अधिकारी द्वारा बदनावर
के अपील प्रकरण क्रमांक 18/90-91 मे आदेश दिनांक 29-9-1992 को प्रदा-
किया गया था। बदनावर के तहसील न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक
मे पटवारी पंजी, नामांतरण क्रमांक 28 मे आदेश दिनांक 13-10-90
तथा तहसील प्रकरण क्रमांक 1/92-93 -अ-6 पर दर्ज है।

R. 301-८/१९७ -em

ए. न. टाल- फोम

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा भावेष्ट
अनुलिपि (राजदूत)प्रकाशों एवं अभिभाषकों
आदि के हमताधार

18/6/14

आवेदक को भेजा गया सूचना-
पत्र नामीकृत प्रधारण प्रादर्श कोई उपरिकृत
नहीं। अनावेदक उ कार्य श्री योगेश्वर महाराज
अभिभाषक उपरिकृत। आवेदक को नीन
बाट पुकार लगाकायी गयी। आवेदक
की अनुपरिकृति में उड़खा अद्यता दैरवी
में बाहरिंज किया जाता है।

b2
उम्मेद

18/6/14